प्रेस नोट- थाना मिर्जापुर
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक- 18.11.2026

थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी परशुरामपुरी महोदय के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष मिर्जापुर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम व गिरफ्तारी वांछित/वारन्टी अभियुक्त के क्रम में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 09.11.26 को वादी द्वारा थाना मिर्जापुर पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 237/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बाबत अभियुक्तगण वादी के भाई के साथ एक राय होकर लाठी-डन्डों से मारपीट करने व गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। दौराने इलाज वादी के भाई की मृत्यु हो जाने पर मुदकमा उपरोक्त में धारा 105/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 18.11.26 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग, वांछित अभियुक्तों की तलाश तथा अपराध की रोकथाम हेतु गश्त पर भ्रमणशील थी। इसी दौरान अभियुक्त प्रमोद पुत्र अजयपाल नि0 ग्राम उईला थाथरमई, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर को ढाई चौराहे से करीब 300 मी0 आगे समय 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. प्रमोद पुत्र अजयपाल, उम्र 45 वर्ष, नि0 ग्राम उईला थाथरमई, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 237/26 धारा 105/3(5)/191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 18.11.26 को समय 11.20 बजे, ढाई चौराहे से करीब 300 मी0 आगे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

श्री मनोज कुमार थानाध्यक्ष
उ0नि0 बन्टी कुमार
मु0आ0 धर्मेन्द्र सिंह
का0 प्रभात मलिक
का0 अंकुश यादव